

23

कण्डिका - 07

### प्रपत्र-4 में प्रस्ताव

कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला-सेमीपाली, कोरबा-हाटी, कोरबा-लेमरू एवं लेमरू-लबेद-हाटी मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.00 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संरक्षित वनभूमि रकबा 4.160 हेक्टेयर, नारंगी क्षेत्र 2.379 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.174 हेक्टेयर कुल 6.713 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्ताव प्रपत्र-4 संलग्न है।



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)  
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड  
रायपुर (छ.ग.)

**FORM-IV****राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा-2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने का प्रारूप**

| 1   | परियोजना ब्यौरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i   | <p>उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वनभूमि अपेक्षित है।</p> <p>कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला-सेमीपाली, कोरबा-हाटी, कोरबा-लेमरू एवं लेमरू-लबेद-हाटी मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.00 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संरक्षित वनभूमि रकबा 4.160 हेक्टेयर, नारंगी क्षेत्र रकबा 2.379 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.174 हेक्टेयर कुल 6.713 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित एवं आवेदित है।</p>                                                     |
| ii  | <p>अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है, जो उपवन संरक्षक की श्रेणी से कम का अधिकारी नहीं हो)</p> <p>प्रस्तावित केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर सड़क राईट-ऑफ-वे के भीतर किया जावेगा, जो कि पूर्व से ही डायवर्टेड भूमि है तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा एवं वन्य प्राणी की क्षति नहीं होगी। प्रस्तावित क्षेत्र में निम्नलिखित भूमि की आवश्यकता है :-</p> <p>संरक्षित वनभूमि - 4.160 हेक्टेयर<br/> नारंगी क्षेत्र - 2.379 हेक्टेयर<br/> राजस्व वनभूमि - 0.174 हेक्टेयर<br/> <b>कुल वन भूमि - 6.713 हेक्टेयर</b></p>                      |
| iii | <p>परियोजना की कुल लागत</p> <p>640 लाख रुपये</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| iv  | <p>परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य तथा इसके लिए वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई, उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाए</p> <p>कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला-सेमीपाली, कोरबा-हाटी, कोरबा-लेमरू एवं लेमरू-लबेद-हाटी मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.00 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आष्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही वन भूमि सड़क राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत पूर्व से ही व्यवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी। अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह</p> |

|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | कार्य किए जाने से अतिरिक्त वन भूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी ।                                                                                                                                                                                                                                                              |
| v   | वित्तीय तथा सामाजिक लाभ ।                                                      | कोरबा एवं करतला तहसील अंतर्गत लगभग 52 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन-देने में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा । |
| vi  | कुल लाभान्वित होने वाली आबादी                                                  | कोरबा एवं करतला तहसील अंतर्गत लगभग 52 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में निवासरत लगभग 50000 लोग लाभान्वित होंगे ।                                                                                                                                                                                                 |
| vii | सृजित रोजगार                                                                   | 2500 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | परियोजना स्कीम का सीन                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i   | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश                                                     | छत्तीसगढ़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ii  | जिला                                                                           | कोरबा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| iii | वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट                                               | सूची संलग्न ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना/स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा | भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल 6.713 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है ।                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | शामिल वनभूमि का ब्यौरा                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i   | वन की वैधानिक स्थिति ।                                                         | कोरबा वनमंडल :-<br>संरक्षित वनभूमि - 4.160 हेक्टेयर<br>नारंगी वनक्षेत्र - 2.379 हेक्टेयर<br>राजस्व वनभूमि - 0.174 हेक्टेयर<br><b>कुल वन भूमि - 6.713 हेक्टेयर</b>                                                                                                                                                            |
| ii  | क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा ।                             | चूँकि प्रस्तावित कार्य सड़क के किनारे राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत किया जाना है, अतएव मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा आवश्यक नहीं है ।                                                                                                                                                                                        |
| iii | वनस्पति की सघनता                                                               | आवश्यक नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iv   | वृक्षों की प्रजातिवार तथा गोलाईवार गोसवारा                                                                                                                                                                       | आवश्यक नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                         |
| v    | भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा है अथवा नहीं ?                                                                                                                 | नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                                |
| vi   | क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित, जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा है, यदि हाँ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें । (मुख्य वन जीव अभिरक्षक की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें) | नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                                |
| vii  | विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा                                                                                                                                   | कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला-सेमीपाली, कोरबा-हाटी, कोरबा-लेमरु एवं लेमरु-लबेद-हाटी मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.00 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फाईबर केबल बिछाने हेतु 6.713 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है । |
| viii | क्षेत्र में पाए जाने वाली दुर्लभ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणीयों की प्रजातियाँ                                                                                                                                | नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                                |
| ix   | क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?                                                                                                                           | नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                                |
| x    | प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?                                                                                                                                                   | नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5    | परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i    | विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या                                                                                                                                                                       | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ii   | विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या                                                                                                                                                                       | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                    |
| iii  | विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या                                                                                                                                         | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                    |
| iv   | विस्तृत पुनर्वास योजना                                                                                                                                                                                           | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6    | क्षतिपूर्ति वनीकरण का ब्यौरा                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i    | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र, बिगड़े वनक्षेत्र का ब्यौरा,                                                                                                                            | आवश्यकता नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्से की संख्या, प्रत्येक हिस्सों का आकार                                                                                                                                                                                       |                    |
| ii  | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र बिगड़े वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र                                                                                                                                    | आवश्यकता नहीं है । |
| iii | रोपण की जाने वाली प्रजातियों कियान्वयन एजेन्सी समय सूची ढाँचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम                                                                                                                                                   | आवश्यकता नहीं है । |
| iv  | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय लागत                                                                                                                                                                                                          | निरंक              |
| v   | वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए जो कि उपवन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो) | आवश्यक नहीं है ।   |
| vi  | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र                                                                                                                                                                | आवश्यक नहीं है ।   |
| 7   | पारेषण लाईनों के बारे में ब्यौरे (केवल पारेषण लाईनों के प्रस्तावों के लिए)                                                                                                                                                                                    |                    |
| i   | पारेषण लाईन की कुल लम्बाई                                                                                                                                                                                                                                     | आवश्यक नहीं है ।   |
| ii  | वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई                                                                                                                                                                                                                  | आवश्यक नहीं है ।   |
| iii | मार्ग का अधिकार                                                                                                                                                                                                                                               | आवश्यक नहीं है ।   |
| iv  | निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या                                                                                                                                                                                                                        | आवश्यक नहीं है ।   |
| v   | वनक्षेत्र में निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या                                                                                                                                                                                                          | आवश्यक नहीं है ।   |
| vi  | पारेषण टॉवरों की ऊँचाई                                                                                                                                                                                                                                        | आवश्यक नहीं है ।   |
| 8   | सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के लिए                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| i   | कुल कैचमेन्ट क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                          | आवश्यक नहीं है ।   |

|      |                                                                                                              |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ii   | कुल कमाण्ड एरिया                                                                                             | आवश्यक नहीं है । |
| iii  | कुल जलाशय स्तर                                                                                               | आवश्यक नहीं है । |
| iv   | उच्च बाढ़ स्तर                                                                                               | आवश्यक नहीं है । |
| v    | न्यूनतम प्राप्ति स्तर                                                                                        | आवश्यक नहीं है । |
| vi   | परियोजना के कैचमेन्ट एरिया में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वन भूमि, कृषि भूमि, चारागाह, भवन, आबादी तथा अन्य) | आवश्यक नहीं है । |
| vii  | उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र                                                                             | आवश्यक नहीं है । |
| viii | पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र                                                                           | आवश्यक नहीं है । |
| ix   | पूर्ण जलाशय स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र                                                               | आवश्यक नहीं है । |
| x    | पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र                                                               | आवश्यक नहीं है । |
| xi   | न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र (केवल मंझोले व बड़े परियोजनाओं के लिए)                                 | आवश्यक नहीं है । |
| xii  | उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न का कुल क्षेत्र                                                                      | आवश्यक नहीं है । |
| xiii | पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र                                                                           | आवश्यक नहीं है । |
| 9    | सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे (केवल सड़क/लाईनों के प्रस्तावों के लिए)                                   |                  |
| i    | पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई एवं आवश्यक वनक्षेत्र                                                        | आवश्यक नहीं है । |
| ii   | सड़क की कुल लम्बाई                                                                                           | आवश्यक नहीं है । |
| iii  | पूर्व निर्मित सड़क की कुल लम्बाई                                                                             | आवश्यक नहीं है । |
| iv   | वनक्षेत्र से गुजरने वाली सड़क की लम्बाई                                                                      | आवश्यक नहीं है । |
| 10   | खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)                                               |                  |
| i    | कुल खनन पट्टा क्षेत्र एवं आवश्यक वनक्षेत्र                                                                   | आवश्यक नहीं है । |
| ii   | प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि                                                                                 | आवश्यक नहीं है । |
| iii  | वनक्षेत्र एवं गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/अयस्क धातु का अनुमानित भण्डार                                  | आवश्यक नहीं है । |

|                                         |                                                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| iv                                      | खनिज/अयस्क धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन                                                                                                                 | आवश्यक नहीं है । |
| v                                       | खनन कार्यों की किस्म (खुली एवं भूमिगत)                                                                                                                      | आवश्यक नहीं है । |
| vi                                      | चरणबद्ध सुधार योजना                                                                                                                                         | आवश्यक नहीं है । |
| vii                                     | खनन किए जाने वाले क्षेत्र का ढलान क्षेत्र                                                                                                                   | आवश्यक नहीं है । |
| viii                                    | पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जाए(केवल नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न करें)                                                                                  | आवश्यक नहीं है । |
| ix                                      | नियोजित श्रमिकों की संख्या                                                                                                                                  | आवश्यक नहीं है । |
| निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यक वनभूमि |                                                                                                                                                             |                  |
| (a)                                     | खनन                                                                                                                                                         | आवश्यक नहीं है । |
| (b)                                     | खनिज एवं अयस्क भण्डारण                                                                                                                                      | आवश्यक नहीं है । |
| (c)                                     | अधिभार का निक्षेप                                                                                                                                           | आवश्यक नहीं है । |
| (d)                                     | उपकरणों तथा मशीनों के भण्डारण                                                                                                                               | आवश्यक नहीं है । |
| (e)                                     | भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण                                                                                                                | आवश्यक नहीं है । |
| (f)                                     | शहर, आवास, कालोनियों                                                                                                                                        | आवश्यक नहीं है । |
| (g)                                     | सड़क/रेल मार्ग/रोप वे का निर्माण                                                                                                                            | आवश्यक नहीं है । |
| (h)                                     | आवश्यक वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना                                                                                                                  | आवश्यक नहीं है । |
| x                                       | परियोजना के तहत उपर (a) से (h) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिए वनभूमि की माँग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ? | आवश्यक नहीं है । |
| xi                                      | खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या                                                 | आवश्यक नहीं है । |
| xii                                     | बारहमासी नदियों, मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं जीव मण्डल रिजर्वों से खनन की दूरी                                       | आवश्यक नहीं है । |

|      |                                                                                                                                |                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| xii  | पुनः प्रयोग के लिए उपरी सतह मिट्टी के भण्डारण की प्रक्रिया                                                                     | आवश्यक नहीं है ।                         |
| xiii | भूमिगत खनन कार्य में अपेक्षित अवतलन की मात्रा एवं जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव                                    | आवश्यक नहीं है ।                         |
| 11   | लागत-लाभ विश्लेषण                                                                                                              | आवश्यक नहीं है ।                         |
| 12   | क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है ? (हाँ/नहीं), यदि हाँ तो आवश्यक अभिलेख संलग्न है (हाँ/नहीं) ।                               | नहीं                                     |
| 13   | क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया है ? (हाँ/नहीं), यदि हाँ तो -                                                  |                                          |
| i    | प्रारंभ तिथि सहित विवरण                                                                                                        | नहीं                                     |
| ii   | अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी                                                                                    | नहीं                                     |
| iii  | की गई अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण                                                                                             | नहीं                                     |
| iv   | क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है ?                                                               | नहीं                                     |
| 14   | कोई अन्य सूचना                                                                                                                 | निरंक                                    |
| 15   | संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का विवरण                                                                                | चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है। |
| 16   | निम्नलिखित बिन्दुओं पर संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत टिप्पणी                                                             |                                          |
| i    | वनभूमि से इमारती, जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वनोपज का उत्पादन                                                                         | आवश्यक नहीं है ।                         |
| ii   | क्या जिला इमारती एवं जलाऊ लकड़ी के लिए आत्मनिर्भर है ?                                                                         | आवश्यक नहीं है ।                         |
| iii  | प्रस्ताव के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों पर जीवकोपार्जन एवं जलाऊलकड़ी पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण | आवश्यक नहीं है ।                         |
| iv   | कारणों सहित प्रस्ताव का स्वीकार अथवा अस्वीकार करने हेतु मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट                    | आवश्यक नहीं है ।                         |

(32)

|         |  |
|---------|--|
| टिप्पणी |  |
|---------|--|

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वन भूमि की मांग न्यूनतम है ।

  
**वनमण्डलाधिकारी,  
कोरबा वनमण्डल, कोरबा**

  
(अमन कुमार सिंह)  
असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)  
जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड  
रायपुर (छ.ग.)